

2018/00 5 18

न्याय आपके द्वार 2018

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

वीरवल वल्लभ चतुर्वेदी बनाम
मा. 885 लात

किस्म मुकदमा
दुसरी

मुकदमा नं. 178
21-618

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

21-618

आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/ 430 दिनांक 20/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 16PS में प्रार्थीगण के नाम चक 185AD की जमाबन्दी सम्वत् 2068-72 के खाता नं. 25/23 में खातेदार वीरवल वल्लभ चतुर्वेदी को धारक का स्थान देना के लिये अंकित है। जिसका ज्ञान है। जिसकी वीरवल वल्लभ चतुर्वेदी को धारक के लिये पत्रावली के द्वारा धारक की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 20/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 185AD के खाता नं. 25/23 में दर्ज खातेदार वीरवल वल्लभ चतुर्वेदी को धारक के स्थान पर वीरवल वल्लभ चतुर्वेदी को धारक के स्थान पर रखने की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
रायसिंहनगर अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट 16PS
उपखण्डधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

[Handwritten signature]